राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक : **SHSB/RI/410/13/(part file)/3420**

सेवा में,

अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (PMCH, SKMCH, DMCH, VIMS, GMCH)
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
बिहार।

पटना, दिनांक: 14.08.2020

विषयः दिनांक 16 सितंबर, 2020 से 29 सितंबर, 2020 तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश।

प्रसंगः स्वा० एवं प० क० मंत्रा०, भा०स० का पत्रांक D.O. Z-28020/41/2018-CH(pt.6), दिनाक 23 जून, 2020

महाशया/महाशय,

भारत सरकार के निदेशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत दस्त से होने वाले शिशु मृत्यु को शून्य स्तर तक लाने के उद्देश्य से राज्य में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित किया जाना है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी एवं लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 का सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 16 सितंबर, 2020 से 29 सितंबर, 2020 तक आयोजित किया जाना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों का सूक्ष्म कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाए। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का उद्देश्य राज्य में दस्त के कारण होने वाले शिशु मृत्यु का शून्य स्तर प्राप्त करना है। डायरिया से होने वाले मृत्यु का मुख्य कारण निर्जलीकरण के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना है। ओ.आर.एस. एवं जिंक के प्रयोग की समझ द्वारा डायरिया से होने वाली मृत्यु को टाला जा सकता है। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान अंतर्विभागीय समन्वय द्वारा डायरिया के रोकथाम के उपायों, डायरिया होने पर ओ.आर.एस. जिंक के प्रयोग, उचित पोषण तथा समुचित इलाज के पहलुओं पर क्रियान्वयन किया जाना है।

लक्षित लाभार्थी (Annexure-1)

- समस्त पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
- पाँच वर्ष की उम्र तक के समस्त बच्चे जो पखवाड़े के दौरान दस्तरोग से ग्रसित हों।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- उपकेन्द्र जहाँ पर ए.एन.एम. न हो अथवा लंबी छुट्टी पर हो।
- सफाई की कमी वाले स्थानों पर निवास करने वाली जनसंख्या/क्षेत्र।
- अति संवेदनशील क्षेत्र–शहरी झुग्गी–झोपड़ी, कठिन पहुँच वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नोमैडिक, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवार, ईंट भट्टे वाले क्षेत्र, अनाथालय तथा ऐसा चिन्हित क्षेत्र जहाँ दो–तीन वर्ष पूर्व तक दस्त के मामले अधिक संख्या में पाये गये हों।
- छोटे गाँव, टोला, बस्ती, छोटे कस्बे जहाँ साफ–सफाई, साफ पानी की आपूर्त्ति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो।

सभी जिले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के आयोजन के पूर्व निम्नलिखित गतिविधियाँ करना सुनिश्चित करेंगे (कार्यक्रम की तैयारियों एवं क्रियान्वयन के दौरान कोविड'–19 Protection Protocol का अनुपालन किया जाये) –

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका

क्र० सं०	गतिविधि	जिम्मेवार पदाधिकारी	गतिविधियाँ	समय सीमा
1	जिला स्तरीय आइ.डी.सी.एफ. स्टीयरिंग कमिटी का गठन एवं बैठक	सिविल सर्जन	• जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय आइ.डी.सी.एफ. स्टीयरिंग कमिटी का गठन एवं पखवाड़ा के पूर्व, दौरान एवं पश्चात् बैठक सुनिश्चित करना। • **जिला स्टीयरिंग कमिटी के सदस्य :** जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी (नोडल पदाधिकारी, आइ.डी.सी.एफ.), जिला कार्यक्रम प्रबंधक(DPM), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आइ.सी.डी.एस.), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी (SC & ST welfare) सभी सहयोगी संस्थायें (यथा UNICEF, IAP, CARE, SRU/DRU, Piramal Foundation etc)	–
2	नोडल पदाधिकारी का चयन	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी कार्यक्रम हेतु जिला नोडल पदाधिकारी होंगे तथा जिला समुदायिक उत्प्रेरक उनको सहयोग प्रदान करेंगे।		–
3	ओ.आर.एस. एवं जिंक के आपूर्ति एवं खपत का निर्धारण	जिला नोडल पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM)' जिला समुदायिक उत्प्रेरक, फार्मासिस्ट	• राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बी.एम.एस. आइ.सी.एल के माध्यम से ओ.आर.एस. एवं जिंक (20mg) टैबलेट की आपूर्त्ति की जा रही है, जिलावार ओ.आर.एस. एवं जिंक टैबलेट की सूची संलग्न **(Annexure-2)**। • जिला नोडल पदाधिकारी संस्थान एवं समुदाय आधारित ओ.आर.एस. एवं जिंक की आवश्यकता का निर्धारिण कर	05 सितंबर, 2020 08–10 सितंबर, 2020

		एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक	प्रखण्ड को आपूर्ति/उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य संस्थान (DH, SDH, RH, PHC, CHC, HWC, APHC, UPHC, HSC) एवं समुदाय की आवश्यकतानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। • आशा द्वारा संलग्न प्रपत्र में माइक्रोप्लान **(Annexure-3)** बनाकर लाइनलिस्ट तैयार करना एवं इसके अनुसार ओ. आर.एस. का वितरण करना। • ओ.आर.एस.–जिंक कॉर्नर हेतु ओ.आर. एस. एवं जिंक उपलब्ध कराना **(Annexure-4)**।	08–10 सितंबर, 2020 05 सितंबर, 2020
4	मुदित आइ.इ.सी/ प्रशिक्षण सामग्री एवं रिपोर्टिंग व रिकॉर्डिंग फार्मेट की उपलब्धता	जिला नोडल पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) एवं जिला समुदायिक उत्प्रेरक (DCM)	• राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मुद्रित प्रचार–प्रसार सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। • ग्रामीण/शहरी आशा **(Annexure-3)** एवं ए.एन.एम. **(Annexure-5 & 6)** हेतु राज्य स्तर से मुद्रित रिपोर्टिंग व रिकॉर्डिंग फार्मेट को उपलब्ध करना। • संलग्न सूची **(Annexure-7)**के अनुसार प्रचार–प्रसार सामग्रियों का प्रदर्शन, प्रशिक्षण Tool Kit **(Annexure-8)** का स्वास्थ्य संस्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।	08–10 सितंबर, 2020 तक 08–10 सितंबर, 2020 तक
5	जिला/प्रखण्ड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला	जिला नोडल पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM), प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सी.डी.पी.ओ., बी.इ.ओ. एवं	• जिला स्तरीय उन्मुखीकरण में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, सी.डी.पी.ओ–आइ.सी.डी.एस., निजी अस्पताल के व्यवस्थापक, IAP, SRU/DRU, Unicef, IMA के प्रतिनिधी	31 अगस्त, 2020 तक

		जिला समुदायिक उत्प्रेरक (DCM)	द्वारा भाग लिया जाना है। • प्रखण्ड स्तरीय उन्मुखीकरण में चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ए.एन.एम., ग्रामीण/शहरी आशा, आशा फैसिलिटेटर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षिका द्वारा भाग लिया जाना है। • BHM/BCM एवं ANM के देखरेख में ग्रामीण/शहरी आशा द्वारा उन्मुखीकरण के दौरान माइक्रोप्लान तैयार करवाना । • रिपोर्टिंग व रिकॉर्डिंग फार्मेट के भरने एवं जमा करने संबंधी उन्मुखीकरण • MOIC/BHM द्वारा प्रचार–प्रसार सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। **नोटः उपर्युक्त उन्मुखीकरण ऑनलाइन/webinar के द्वारा किया जाना है।)**	01–10 सितंबर, 2020 तक
6	चयनित स्वास्थ्य संस्थान पर ओ. आर.एस–जिंक कॉर्नर का क्रियान्वयन	जिला नोडल पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी एवं जिला समुदायिक उत्प्रेरक (DCM)	• ओ.आर.एस.–जिंक कॉर्नर के लिए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के Paed. OPD, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सी.एच.सी., में दो तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र में एक स्थल का चयन करना (स्थल विवरण हेतु पत्र की पृष्ठ सं० 6 आर 7 का संदर्भ करें)। • ओ.आर.एस. एवं जिंक टैबलेट की समुचित मात्रा उपलब्ध कराना। • प्रशिक्षित स्टाफ की पदस्थापना सुनिश्चित करना। • प्रचार–प्रसार सामग्रियाँ, पोस्टर, बैनर लगवाना, माइकिंग करवाना।	08–10 सितंबर, 2020 तक

			• Plan A, B,C को प्रदर्शित करना।	
7	रिपोर्टिंग व रिकॉर्डिंग फार्मेट की उपलब्धता एवं क्रियान्वयन	जिला नोडल पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी/ प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक	• सभी प्रखण्डों पर ए.एन.एम. एवं ग्रामीण/शहरी आशा को रिपोर्टिंग व रिकॉर्डिंग फार्मेट उपलब्ध कराना । • जिला, प्रखण्ड एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए. एन.एम. एवं ग्रामीण/शहरी आशा) द्वारा रिपोर्टिंग तालिका –B के अनुसार कार्य किया जाना।	08–10 सितंबर, 2020 तक
8	अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	जिला नोडल पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM), जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला मुल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी	• जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियों का अनुश्रवण तालिका –A के अनुसार करना । • जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर अनुश्रवक का चयन • मुल्यांकन एवं अनुश्रवण योजना बनाना ✓ जिला स्तरीय Supportive Supervision checklist (**Annexure**-13) ✓ प्रखण्ड स्तरीय Supportive Supervison Chekclist (**Annexure**-14) • पखवाड़ा के पूर्व अनुश्रवण एवं मुल्यांकन संबंधी प्रपत्र का वितरण • पखवाड़ा के पूर्व एवं दौरान संस्थान एवं सामुदायिक स्तरीय गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मुल्यांकन • पखवाड़ा के दौरान संलग्न प्रपत्र (Daily Reporting Format-**Annexure**-9) में प्रतिदिन प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (Email_id - spochildhealthshsb@yahoo.com) को भेजना सुनिश्चित करना।	

ग्रामीण/शहरी आशा द्वारा समुदायिक/गाँव स्तरीय गतिविधि सुनिश्चित करना

1. भ्रमण हेतु सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार करना– जिसमें पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची बनाना। सूक्ष्म कार्ययोजना की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकारी एवं जिला स्टेयरिंग कमिटि द्वारा किया जाये। संलग्न– **Annexure**-3

2. पाँच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के घरों में प्रति बच्चा एक–एक ओ.आर.एस. पैकेट का वितरण सुनिश्चित करना।
3. कोविड–19 महामारी को देखते हुए ग्रामीण/शहरी आशा द्वारा Non-containment Zone के घरों में ओ.आर.एस. का वितरण किया जाना है। Containment Zone में ओ.आर.एस. वितरण हेतु कोविड–19 हेतु बनाये गये SOP का पालन किया जाना है।
4. परिवार के सदस्यों के समक्ष ओ.आर.एस. घोल बनाना एवं इसके उपयोग की विधि, इससे हाने वाले लाभ को बताना, साफ–सफाई, हाथ धोने के तरीके आदि की जानकारी प्रदान करना। इसके साथ ही परिवार को निम्न बिन्दुओं पर परामर्श देगी–

- जिंक का उपयोग दस्त होने के दौरान बच्चों को आवश्यक रूप से कराया जाये। दस्त बन्द हो जाने के उपरांत भी जिंक की खुराक 02 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुल 14 दिनों तक जारी रखा जाए (02 माह से 06 माह तक आधी गोली (10mg) एवं 07वें माह से 05 वर्ष तक एक गोली (20mg))। जिंक का प्रयोग करने से दस्त की तीव्रता में कमी आ जाती है एवं अगले 02 से 03 महीने तक दस्त होने की संभावना कम हो जाती है।
- जिंक और ओ.आर.एस. के उपयोग के उपरांत भी दस्त ठीक न होने पर बच्चे को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।
- दस्त के दौरान और दस्त के बाद भी आयु के अनुसार स्तनपान, उपरी आहार तथा भोजन जारी रखा जाये।
- उम्र के अनुसार शिशु पोषण संबंधी परामर्श दिया जाये।
- पीने हेतु साफ एवं सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने हेतु परामर्श दिया जाये।
- खाना बनाने एवं खाना खाने से पूर्व और बच्चे का मल साफ करने के उपरांत साबुन से हाथ धोना।
- डायरिया होने पर ओ.आर.एस. और जिंक का उपयोग करने से बच्चों में तीव्र सुधार होता है।
- बच्चे के मल का निस्तारण सुरक्षित स्थान पर जल्द–से जल्द कर दिया जाये।
- दस्त को फैलने से रोकने के लिये शौचालय का उपयोग करना चाहिये। खुले में शौच नहीं करना चाहिए।
- बच्चे में निम्नलिखित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें–
  - ✓ बच्चा ज्यादा बीमार लग रहा हो।
  - ✓ पानी जैसा लगातार दस्त का होना ।
  - ✓ बार–बार उल्टी होना ।
  - ✓ अत्यधिक प्यास लगना ।
  - ✓ पानी न पी पाना।
  - ✓ बुखार होना ।
  - ✓ मल में खून आ रहा हो।

- जिन घरों में 02 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी माताओं को स्तनपान एवं उम्र के अनुसार पूरक पोषाहार की जानकारी दें एवं हाथों की सफाई के महत्व के विषय में परामर्श दिया जाये।
- दस्त से ग्रसित बच्चों को पहचान कर ए.एन.एम. अथवा नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर करना तथा माताओं को दस्त से होने वाले खतरे के लक्षण के बारे में बताना ।

5. पखवाड़ा के दौरान दस्त के कारण हुई मृत्यु की रिपोर्ट ए.एन.एम/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को देना ।
6. पखवाड़ा के पश्चात् ग्रामीण/शहरी आशा द्वारा सभी संकलित रिपोर्ट को ए.एन.एम. के पास निर्धारित समयावधि में जमा करना।
7. ग्रामीण/शहरी आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जीविका के ग्राम संगठन की बैठकों में जाकर कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगी ।
8. जिला अपने स्तर से पाँच वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या (संलग्न **Annexure-I**) अथवा माइक्रोप्लान के अनुसार प्रत्येक आशा को ओ.आर.एस. पैकेट वितरण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. VHSND Site एवं महिला मंडल की बैठक में ओ.आर.एस. घोल बनाने की विधि को प्रदर्शित करने के लिए प्रति ग्रामीण/शहरी आशा को पाँच ओ.आर.एस. पैकेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. दस्त से ग्रसित अति कुपोषित बच्चों को रेफर करना ।
11. घर पर पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु क्लोरीन गोली के उपयोग को बढ़ावा देना।

ए.एन.एम. द्वारा की जाने वाले गतिविधि–

1. पखवाड़ा के दौरान पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माताओं को VHSND के दौरान (कोविड–19 से बचाव के उपाय अपनाते हुए) एवं डायरिया नियंत्रण संबंधी जानकारी प्रदान करना।
2. जिंक और ओ.आर.एस. के उपयोग, हाथ धोने के तरीकों एवं खुले में शौच करने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देना।
3. VHSND Sites एवं उपकेन्द्र में IYCF के बारे में (Breastfeeding & complementary Feeding) माताओं को सलाह देना ।
4. ए.एन.एम. द्वारा पखवाड़ा के दौरान प्रतिदिन किये जाने वाले भ्रमण की योजना संलग्न प्रपत्र– **Annexure-5** में भरा जाना तथा इसकी एक प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को जमा करना । पखवाड़ा के उपरांत उक्त प्रपत्र को स्वास्थ्य केन्द्र में जमा करना ।
5. दस्त से ग्रसित अति कुपोषित बच्चों को रेफर करना ।

मोबाइल टीम द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

मोबाइल टीम नगरपालिका/नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित कर शहरी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी, अनाथालय,सड़क पर रहने वाले बच्चे, प्रवासी आबादी इत्यादि का अच्छादन करना एवं पोस्टर, बैनर लगाना। संलग्न मोबाईल टीम हेतु योजना एवं प्रतिवेदन प्रपत्र **(Annexure-10)**

संस्थान के स्तर पर होने वाली गतिविधि–

1. ओ आर एस जिंक कॉर्नर की स्थापना निम्न स्थानों पर की जानी है–
   - चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल–ओ.पी.डी एवं शिशु वार्ड

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, निजी अस्पताल– ओ.पी.डी

2. सभी ओ.आर.एस. जिंक कॉर्नर का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा वहाँ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना।
3. उपरोक्त कॉर्नर के लिए ओ आर एस जिंक कॉर्नर लिखा हुआ साइन बोर्ड लगाना ।
4. ओ.आर.एस. एवं जिंक टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
5. शिशु वार्ड/पोषण पुनर्वास केन्द्र को दस्त से ग्रसित कुपोषित बच्चे के उपचार के लिए तैयार रखना ।
6. दस्त से ग्रसित बच्चों का उपचार प्लान A, B, C के उपचारात्मक प्रोटोकॉल के तहत किया जाना सुनिश्चित करें (संलग्न IDCF Tool Kit)।
7. दस्त से ग्रसित अति गंभीर कुपोषित बच्चों को उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान/पोषण पुनर्वास केन्द्र में रेफर करना ।
8. पखवाड़ा के पूर्व एवं दौरान स्वास्थ्य संस्थान के सभी पानी की टंकियों की सफाई करवाना।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (कोविड–19 से बचाव Protocol का पालन किया जाये)

तालिका–A

स्तर	प्रतिभागी	गतिविधि	समयावधि
राज्य स्तरीय गठित मॉनिटरिंग टीम	राज्य स्तरीय तीन सदस्यीय गठित दल (राज्य स्तरीय पदाधिकारी, सबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा डेवलपमेंट पार्टनर)	टीम द्वारा दो दिवसीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाना है। यह भ्रमण VHSND सत्र को प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन कम–से–कम दो गाँव का भ्रमण करना एवं संलग्न चेकलिस्ट भरा जाना है।	पखवाड़ा के दौरान
जिला स्तरीय	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, डेवलपमेंट पार्टनर–CARE/DRU, Unicef, Piramal Foundation)	वैसे गाँव को प्राथमिकता देना है जहाँ VHSND सत्र का आयोजन होना है एवं संलग्न चेकलिस्ट भरा जाना है।	पखवाड़ा के दौरान प्रतिदिन
प्रखण्ड स्तरीय	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक/अन्य	वैसे सभी गाँव को प्राथमिकता देना है जहाँ VHSND सत्र का आयोजन होना है एवं संलग्न चेकलिस्ट भरा जाना है।	पखवाड़ा के दौरान प्रतिदिन

1. जिला स्तर पर स्टीयरिंग कमिटि सघन रूप से हर स्तर पर पखवाड़े का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेगी। इस हेतु वे भ्रमण की कार्य योजना तैयार करेंगे एवं प्रखंड स्तर पर भी भ्रमण योजना तैयार करवा कर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे ।

2. प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, आयुष चिकित्सक के द्वारा किया जाना है। इनके द्वारा उन घरों का भ्रमण किया जायेगा जहाँ पखवाड़ा के दौरान ग्रामीण/शहरी आशा द्वारा ओ.आर.एस. का वितरण किया गया है तथा ओ.आर.एस. एवं जिंक कॉर्नर की क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना है।
3. अनुश्रवण में सहयोगी संस्थाओं यथा Unicef, Care, Piramal Foundation व अन्य का भी सहयोग लिया जाये।
4. उच्च प्राथमिकता वाले प्रखंडों, सुदूर क्षेत्र, स्लम एवं वैसे इलाके जहाँ दस्त का प्रकोप अधिक हो, वहाँ विशेष रूप से पखवाड़े का अनुश्रवण किया जाये ।
5. नीति आयोग द्वारा चयनित 13 Aspirational जिलों में विशेष रूप से पखवाड़े का अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें।

रिपोर्टिंग

तालिका–B

स्तर		समयावधि
प्रखण्ड स्तरीय	• सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के पश्चात् प्रत्येक ग्रामीण/शहरी आशा मॉनिटरिंग प्रपत्र (सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा हेतु गाँव स्तरीय योजना –सह–अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन चेकलिस्ट–**Annexure**-3) में प्रविष्टि कर ए.एन.एम. को जमा करेंगी ।	05 अक्टूबर, 2020
	• ए.एन.एम., ग्रामीण/शहरी आशा से प्राप्त मॉनिटरिंग प्रपत्र का संकलन संलग्न प्रपत्र–**Annexure**-6 में प्रविष्टी कर अगले एक दिन के अंदर प्रखंड में जमा करेंगी ।	07 अक्टूबर, 2020
	• प्रखण्ड डाटा इंट्री ऑपरेटर उक्त प्रपत्र का संकलन एवं संलग्न प्रपत्र **Annexure**-11 में करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति की एक प्रति जिला नोडल पदाधिकारी एवं दूसरी प्रति जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी को जमा किया जायेगा।	12 अक्टूबर, 2020
जिला स्तरीय	जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी प्रखण्ड से प्राप्त डाटा का संकलन संलग्न प्रपत्र **Annexure**-12 में करना सुनिश्चित करेंगे तथा सत्यापित प्रति राज्य स्तर पर शिशु स्वास्थ्य कोषांग के ई–मेल	19 अक्टूबर, 2020

	spochildhealthshsb@yahoo.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।	
राज्य स्तर	जिला से प्राप्त डाटा का संकलन कर सत्यापित प्रति भारत सरकार को भेजा जाना है ।	24 अक्टूबर, 2020

वित्तीय दिशा निर्देश

बजट शीर्ष	गतिविधि
3.1.1.1.7	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा हेतु आशा अपने क्षेत्र के पाँच वर्ष तक के उम्र के बच्चों की लाइन लिस्ट संलग्न प्रपत्र में तैयार करेगी तथा लाइन लिस्ट के अनुसार सभी घरों में निःशुल्क ओ.आर.एस. पैकेट वितरण करेंगीं, पखवाड़ा उपरांत उक्त प्रपत्र को सत्यापित कर ए.एन.एम को जमा करेगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित ए.एन.एम./आशा द्वारा जमा किये गये सत्यापित प्रपत्र की जाँच एवं सत्यापन करेंगे, तत्पश्चात् ही आशा को 100/– रुपये प्रोत्साहन राशि देय होगी। यह राशि संबंधित आशा के खाते में PFMS के माध्यम से स्थानांतरित किया जायेगा।
9.5.2.2	एक दिवसीय जिला स्तरीय उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रावधान है ।
9.5.2.2	एक दिवसीय प्रखण्ड स्तरीय उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण हेतु रु० 3000/प्रखंड की दर से राशि का प्रावधान है।
11.5.1	माइकिंग–पखवाड़ा के दौरान प्रति प्रखण्ड रु० 2500/– का प्रावधान किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवाएँ, निदेशालय की भूमिका

- वैसे जिले जहाँ आँगनवाड़ी केन्द्र खुले हुए हैं, वहाँ आँगनवाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका समुदाय स्तर पर ग्रामीण/शहरी आशा एवं ए.एन.एम. से समन्वय कर VHSND साइट पर प्रचार–प्रसार सामग्री को प्रदर्शित करना एवं स्तनपान, पोषण इत्यादि गतिविधियों पर परामर्श देगी।
- बच्चों एवं उनके परिवार से संपर्क के दौरान दस्त से बचाव के उपाय एवं दस्त होने पर ओ.आर.एस. जिंक के प्रयोग की जानकारी तथा इससे होने वाले लाभ एवं दस्त के दौरान खतरे के लक्षणों के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
- केन्द्र पर आने वाले बच्चों को हाथ की सफाई, शौचालय का प्रयोग एवं स्वच्छ पानी पीने के संबंध में जागरूक करना।
- नियमित मासिक बैठक के दौरान सी.डी.पी.ओ. द्वारा महिला पर्यवेक्षिका तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा संबंधी उन्मुखीकरण किया जाना।

हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा शत–प्रतिशत सफल होगा ।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

संलग्न : यथोक्त ।

ज्ञापांकः 3420 पटना, दिनांक – 14.08.2020

प्रतिलिपिः ~~सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।~~

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः डा० शीला देब, उपायुक्त, शिशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, PMCH-Patna, SKMCH-Muzaffapur, DMCH-Darbhanga, VIMS-Pawapuri, GMCH-Bettiah को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि पखवाड़ा के दौरान शिशुरोग विभाग के ओ.पी.डी. में जिंक ओ.आर.एस. कॉर्नर का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

प्रतिलिपिः अपर निदेशक–सह–राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकरी (RBSK), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः राज्य कार्यक्रम पदाधिकरी (ARC), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.यू.एच.एम., राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः संबंधित क्षेत्रीय अपर निदशेक, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः संबंधित जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, (DPMU), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, आई.एम.ए. एवं आई.ए.पी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः स्वास्थ्य विशेषज्ञ–यूनीसेफ, पोषण विशेषज्ञ–यूनीसेफ, निदेशक–एस.आर.यू, स्टेट को–ऑर्डिनेटर, डब्लू.एच.ओ., Piramal foundation को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक